कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
जनपद अलीगढ़।

संख्या–649 / अधिसूचना / यमुना एक्सप्रेस–वे / 2020 दिनांक–24.09.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त प्रकरणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **अलीगढ़ जनपद से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेस–वे पर** संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है –

क्र.सं.	मोटरयान का वर्ग	निर्धारित की गयी गति सीमा (Speed Limit)
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम 1 प्रवर्ग यान)	100
2	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम 2 और एम 3 प्रवर्ग यान)	60
3	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान)	60
4	मोटर साइकिल	60

(रंजीत सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0) /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अलीगढ़।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3– जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4– पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
5– अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6– श्री के0के0 सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), यमुना एक्सप्रेस–वे इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथोरिटी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
7– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला / हिन्दुस्तान / दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि उक्त जनहित की अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0) /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अलीगढ़।